प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.01.2025

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का वाँछित / पुरूस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 15 लाख रूपये का माल बरामद

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब व मध्यप्रदेश में जिओ व एयरटेल कम्पनी के मोबाइल टावरों से आर0आर0 यूनिट, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी कर उसे भारी दामों मे विदेशों में बेचने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय सदस्य तथा थाना वेव सिटी से वाँछित/पुरस्कार घोषित 01 शातिर अभियुक्त को थाना वेवसिटी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है, गिरफ्तार अभियुक्त से मोबाइल टावरों से चोरी 02 रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद हुई है। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये है। **अभियुक्त की गिरफ्तारी पर डी0सी0पी0 ग्रामीण गाजियाबाद द्वारा 25,000 रूपये का पुरूस्कार पूर्व से घोषित है।**

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त इरशाद ने बताया कि उसने 8वीं पास करने के बाद पढाई छोड दी और कबाड का काम करना शुरू कर दिया। पहले 5-6 साल दिल्ली में फेरी करके कबाड लेता था और मुस्तफाबाद मे बेच देता था, बाद में दिल्ली छोडकर जाकिर कालोनी मेरठ में गोदाम बनाकर मेरठ व उसके आस-पास फेरी करके कबाड की दुकानों से कबाड लेने व बेचने का काम करने लगा। वही पर जाकिर कालोनी में ही इरशाद की मुलाकात वसीम मलिक से हुई जिसने उसे मोबाइल टावरों के आर0आर0यू0 व अन्य उपकरणों के बारे बताया। इन चोरी के उपकरणों के खरीदने बेचने में लाखों का मुनाफा होता है। वसीम ने इरशाद को साहिल व राहुल से मिलवाया जो आर0आर0यू0 की चोरी करते थे। इरशाद ने पूछने पर बताया पिछले कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैट्री, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की चोर बजारी में काफी माँग चल रही है, मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी मँहगे होते है। इरशाद चोरो से चोरी का माल लेकर उसे सुरक्षित तरीके से वसीम को देता था जिसमें एक आर0आर0यू0 की खरीद-फरोख्त में इरशाद को 10,000 रू0 का फायदा होता था।

इरशाद ने यह भी बताया कि मोबाइल टावरों से आर0आर0यू0, बी0बी0यू0, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों को चोरी करने से लेकर देश से बाहर भेजने तक इनका एक संगठित गिरोह है इनके गिरोह में इसके अलावा शाहरूख मलिक, वसीम मलिक, नईम मलिक, फईम मलिक, अनवर मलिक, अनस, साहिल मलिक, कय्यूम, गोल्डी उर्फ फरहान, जावेद, जाकिर, राहुल, कासिम, हाजी जावेद, खालिद उर्फ मुल्ला गिरोह के सक्रिय सदस्य है। इनके गिरोह मे फईम व नईम पहले अन्तर्राष्ट्रीय आर0आर0यू0 तस्कर जावेद मीरापुरिया के गैंग मे काम करते थे फिर धीरे-धीरे इन्होने अपना एक अलग गिरोह बना लिया। गिरोह के कुछ सदस्य दिन में कबाडे की फेरी करके कबाडे का काम करते है और जिस मोबाइल टावर से इनको चोरी करनी होती है उसको ये लोग दिन के समय ही कबाडे की फेरी करते हुए चिन्हित कर लेते है घटनास्थल पर जाने के लिए गाडी की इन्तजाम शाहरूख, वसीम व गोल्डी उर्फ फरहान करते है रात्रि के समय में ये उपलब्ध गाडियों से ये लोग चिन्हित किये हुए टावर पर पहुँचते है और इनके 2-3 साथी मोबाइल टावर पर चढ जाते है और औजारों की मदद से उसमें लगे आर0आर0यू0 व बी0बी0यू0 व अन्य कीमती इलैक्ट्रोनिक उपकरण चोरी कर लेते है, चोरी करने के बाद चोरी का सामान ये लोग उसी गाडी मे रखकर फरार हो जाते है। चोरी किये गये माल को बेचने के लिए शाहरूख, वसीम मलिक, नईम मलिक, अनवर मलिक, अनस, हाजी जावेद, खालिद उर्फ मुल्ला को पहुँचाते है फिर ये लोग माल को प्लास्टिक के कवर लगाकर पैक करके फईम को देते थे और फईम उस माल को हाँगकाँग (चीन) भिजवाता था।

पूछताछ करने पर पकडे गये अभियुक्त उपरोक्त ने यह भी बताया कि हमारा गिरोह पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली एन0सी0आर0 व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे कई स्थानों पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करता है। पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। अब तक क्राईम ब्रान्च द्वारा मोबाइल टावरो से चोरी करने वाले गैंगो के करीब 45 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे भारी मात्रा में मोबाइल टावरों के उपकरणों की बरामदगी की जी चुकी है। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.इरशाद पुत्र इकरामुद्दीन निवासी मन्दिर वाली गली रसीद नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 24 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण –

1.मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-02 अदद

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त इरशाद के विरूद्ध गाजियाबाद में 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा साईबर फ्राड करने वाले 02 शातिर गिरफ्तार, जिनके द्वारा भोले भाले लोगो से नौकरी लगवाने के नाम पर खाता खुलवाकर 50 लाख रुपये से ऊपर की ट्राजेक्शन करना, अभि0गण के कब्जे से 21 अलग अलग बैंको के एटीएम कार्ड, 21 अलग अलग बैंको की पासबुक, 06 सिम, 03 मोबाईल फोन बरामद।

दिनांक 08-01-25 में वादी श्री करन पुत्र श्री बंसल लाल निवासी मकान नम्बर -151 राधा कुन्ज द्वितीय नन्दग्राम ने थाना पर सूचना दी कि अभि0गण द्वारा करन व अमान को माननीय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलवाने के नाम धोखाधडी कर कागजों व फार्मों पर हस्ताक्षर कराकर उनके बैंक खातो में लाखो रुपये का ट्रांजेक्शन होने के संबंध में, उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्थानीय पुलिस द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09-01-25 को नन्दी पार्क राजनगर एक्स0 पुस्ता रोड के पास से अभियुक्तगण रवि चोपडा, मनीष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 21 अलग अलग बैंको के एटीएम कार्ड, 21 अलग अलग बैंको की पासबुक, 06 सिम, 03 मोबाईल फोन बरामद किये गये। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रवि चोपडा पुत्र अनिल कुमार चोपडा निवासी राताखार कोरबा शहर थाना कोतवाली जिला कोरबा छत्तीसगढ तथा हाल पता सावे विला डी मोरटी राजनगर एक्सटेंश नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि गाजियाबाद उम्र-करीब 35 वर्ष।

मनीष पुत्र सिल्ली निवासी नूर नगर सिहानी पीएनबी बैंक के पास नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

फरार अभियुक्त –प्रतीक जॉन निवासी कोरबा शहर थाना कोतवाली जिला कोरबा छत्तीसगढ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि यह सभी पास बुक, एटीएम कार्ड, सिम आदि सामान हम दोनों व हमारा साथी प्रतीक जॉन लोग माननीय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्कीम बताकर भोले भाले लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर खाता खुलवा कर उनकी पासबुक, चेकबुक एटीएम व उनके आधार कार्ड पर नई सिम कार्ड एक्टिवेट कराकर अपने पास रख लेते है फिर इन्ही खातों की सारी जानकारी पासबुक, एटीएम कार्ड नई सिम कार्ड चेकबुक लेकर छत्तीसगढ प्रतीक जॉन के पास पार्सल कर देते हैं जिसके बदले में प्रतीक जॉन द्वारा प्रतिव्यक्ति 10000 रुपये की दर से हम लोगों को देता है। जिसमें हम दोनों लोगों को 2500-2500 रुपये व खाता धारक को 5000 रुपये देते हैं तथा इन खातों का इस्तेमाल प्रतीक जॉन इलेक्ट्रानिक माध्यम से विभिन्न स्त्रोतो से साइबर फ्राड करने में इस्तेमाल करता है, उक्त खातो में बहुत ही कम समय में लाखो लाखो रुपये की ट्राजेक्शन कर बंद कर देते है।

बरामदगी का विवरण-

(1) 21 अलग अलग बैंको के एटीएम कार्ड, (14 केनरा बैंक, 01 जेएण्डके बैंक, 01 कोटक बैंक, 05 बैंक आफ महाराष्ट्र)

(2) 21 अलग अलग बैंको की पासबुक, (03 जेएण्डके बैंक, 01 कोटक, 01 केनरा, 01 एसबीआई),

(3) 06 सिम (भिन्न भिन्न कम्पनीयो के)

(4) 03 मोबाईल फोन बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्रान्तर्गत स्थित खसरा सं0 713, ग्राम मीरपुर हिन्दू में एक प्लाट को अभियुक्त हिमांशु उर्फ अफजल उर्फ अफसान पुत्र निजामुद्दीन निवासी काजीवाडा जिला हापुड़ हाल निवासी जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-3 बदरपुर साउथ दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा अपने अन्य 02 साथियों के साथ मिलकर धोखाधडी करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा कराकर प्लॉट देने के नाम पर वादी से 3,52,000/- रूपये हड़प लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर घटना पुरानी होने के कारण भादवि की धारा 406/420/467/468/471/120(बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 05.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त हिमांशु उर्फ अफजल उर्फ अफसान पुत्र निजामुद्दीन निवासी काजीवाडा जिला हापुड़ हाल निवासी जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-3 बदरपुर साउथ दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 09.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आदर्श शर्मा पुत्र जितेन्द्र प्रताप शर्मा निवासी मिलन गार्डन सभापुर गली नं0 02 थाना सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 21 वर्ष को पुस्ता रोड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर सत्यम चौक चौहान पट्टी बस स्टैण्ड नियर सोनिया विहार पुस्ता पर एमएमके एसोसिएट एण्ड बिल्डर्स के नाम से प्रोपर्टी (प्लॉट खरीदने/बेचने) का ऑफिस खोलकर विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया था। हमारे पास प्लॉट खरीदने के लिए कई लोग आये थे हमने उपरोक्त मुकदमे के वादी को खसरा न0 713 ग्राम मीरपुर हिन्दू में 40 वर्ग गज का प्लॉट दिखाया था तथा हमने प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी रजिस्ट्री कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदर्श शर्मा पुत्र जितेन्द्र प्रताप शर्मा निवासी मिलन गार्डन सभापुर गली नं0 02 थाना सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 21 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा साईबर फ्रोड करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 लाख 35 हजार रूपये, 01 अवैध पिस्टल ब्रेटा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 नाजायज चाकू, 01 लेपटाप (मेक-बुक एयर), 01 मोबाइल टैब रेडमी व 04 मोबाईल फोन बरामद

घटना का विवरण-

दिनांक 08.01.2025 को वादी श्री लक्ष्य शर्मा S/O संदीप शर्मा निवासी-E-39 सैक्टर 23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक तहरीर मेरे दोस्त अक्षित वर्मा ने मेरे से कहा कि भाई मे सोना का नया काम शुरु कर रहा हूँ तू मुझे अपना खाता न0 दे दे मैं उसमें 1-5 लाख रुपया डालूगा मेरे खाते में तकनीकि खराबी के कारण मैने उसे अपनी मम्मी का खाता न0 दे दिया। अक्षित वर्मा ने किसी विजय कृष्णा राव नामक व्यक्ति से अलग-अलग दिनांक को पैसे डलवाये। उस पैसे को अक्षित वर्मा ने मेरे से 50-50 हजार की NEFT करवा अलग-अलग खाते में डलवायी फिर उसने यह सिलसिला जारी कर उसी विजय शर्मा राव से कभी 5 लाख दो बार डलवाये फिर उसने मेरा स्वंय का खाता न0. में वह पैसे ट्रांसफर करवा के बैक से चैक द्वारा नगद निकलवाने को कहा साथ ही उसने मेरे खाते में भी 5 लाख व अलग-अलग राशि डलवायी जिसमे उसने 10 लाख बैंक से नगद लिए एंव अलग अलग खाते में बाकि रकम डलवायी। अब दिनांक 1/1/25 को बैंक द्वारा मेरे और मम्मी के बैक खाते Freeze होने की सूचना मिली। हमारे साथ यह घटना घटित होने के बाद जब हमने बैक में पता करा तो वहां से यह सूचना मिली कि यह राशि मुम्बई (नागपुर) में घटित किसी Fraud Activity की राशि है। जिसके कारण हमारा खाता Freeze हो गया है। मुझे और मेरी माता जी को अपनी Emergency बता कर गुमराह किया गया है। इस Fraud में हमारा कोई लेन देन नही है केवल हमको व हमारे खातो का उपयोग कर हमे गुमराह किया गया है के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। जिसपर तत्काल उचित धाराओ में थाना मधुबन बापूधाम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

तथा दिनांक 09.01.2025 को आवेदक श्री नितिन नेगी निवासी M 473 Sanjay Nagar गाजियावाद की एक तहरीर की मेरे दोस्त नें मुझे बताया कि उसके किसी ट्रेडिंग कम्पनी से 50000/- रुपये आने है और उसके खाते की लिमिट न होने की वजह से मैं अपने एकाउंट में वो पैसे डलवाने हेतु कहा। मेरे खाते मैं पचास हजार रुपये आ गये। उसने वह पैसे किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रासफर करवा दिये। और मेरा खाता बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया। मेरा खाता माईनस 46,500 हो गया। के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। जिसपर तत्काल थाना मधुबन बापूधाम पर उचित धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 09.01.2025 को लोकन इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दौराने पुलिस चेकिंग मननधाम फाटक के पास मैनापुर रोड के पास से साईबर फ्रोड करने वाले दो अभियुक्तो को 24 लाख 35 हजार रूपये, 01 अवैध पिस्टल ब्रेटा, 01 जिन्दा कारतूस ,01 नाजायज चाकू, 01 लेपटाप (मेक-बुक एयर), 01 मोबाइल टैब रेडमी व 04 मोबाईल फोन के साथ पुलिस हिरासत में किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त गण

1. सांई वैभव पुत्र भरतदास निवासी एम-459/4/ए सेक्टर-23 संजय नगर थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
2. निशान्त पुत्र गिरीश त्यागी निवासी एम-102 वीवीआईपी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त साँई वैभव

अभियुक्त सांई वैभव उपरोक्त के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर 02 मुकदमे धोखाधडी के तथा 01 मुकदमा आयुद्ध अधि0 का 01 मुकदमा कुल 03 मुकदमे पंजीकृत है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त निशान्त

अभियुक्त निशान्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर 02 मुकदमे धोखाधडी के तथा 01 मुकदमा आयुद्ध अधि0 का 01 मुकदमा कुल 03 मुकदमे पंजीकृत है।

पूछताछ विवरण अभियुक्त गण -

अभियुक्त गणो नें कडाई से पूछताछ पर बताया कि हम दोनो लोग सुमित व अंकित के साथ मिलकर साईबर फ्रोड करते थे। हम दोनो लोग सुमित व अंकित के कहे अनुसार साईबर फ्रोड का जो पैसा अन्य राज्यो से आता था। उसके लिए हम आस पास के लोगो को विश्वास में लेकर उनके खाता संख्या लेते थे। जिन लोगो से हम खाते लेते थे उन लोगो से हम कहते थे कि हम सोने का व्यापार करते है तथा किसी से हम कहते थे कि हम इंश्योरेंश कम्पनी चलाने का काम करते है। यह कहकर हम उनके खाते संख्या लेते थे। हम लोगो द्वारा जो बाहरी राज्यो में फ्रोड किया जाता था। उसी फ्रोड का पैसा इन खातो में आता था। जिसे हम लोग खाता धारको से पैसो को कैश मे ले लेते थे। तथा आपस में बांट लेते थे।

बरामदगी का विवरण

1. 24 लाख 35 हजार रूपये नगद
2. 01 अवैध पिस्टल ब्रेटा
3. 01 कारतूस KF 7.65
4. 01 नाजायज चाकू
5. 01 लेपटाप (मेक-बुक एयर)
6. 01 मोबाइल टैब रेडमी
7. 04 मोबाईल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा एक तहरीर दी गई कि अभियुक्त योगेश पुत्र राम प्रसाद निवासी राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष द्वारा वादी की पुत्री उम्र 14 वर्ष को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 65(1)/137(2) बीएनएस व 4(2) पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त योगेश पुत्र राम प्रसाद निवासी राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को पाइपलाइन चौक राहुल गार्डन से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी पीडिता से काफी दिनों से बातचीत थी। मैं पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था जहाँ मैंने मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

योगेश पुत्र राम प्रसाद निवासी राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम – थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 08.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त फरमान पुत्र नूर हसन निवासी 20 फुटा रोड प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये अवैध तमंचा व कारतूस मैं लोगों को डराने, धमकाने व लोगों में अपना रौब जमाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

फरमान पुत्र नूर हसन निवासी 20 फुटा रोड प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।